कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय हापुड़।

जनपद न्यायालय मुख्यालय हापुड़ में स्वर्ग आश्रम रोड़ हापुड़ में स्थित टाईप–3 के 06 नग पुराने निष्प्रयोज्य घोषित आवासों को गिराने व गिराने में निकले मलबे की नीलामी की सूचना–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश हापुड़ के आदेशानुसार जनपद न्यायालय मुख्यालय हापुड़ में पुरानी मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्वर्ग आश्रम रोड़ हापुड़ में स्थित टाईप–3 के 06 नग पुराने निष्प्रयोज्य घोषित आवासों को गिराने में निकले मलबे आदि की नीलामी की जानी है नीलामी समिति जनपद न्यायालय हापुड़ द्वारा उक्त निष्प्रयोज्य घोषित आवासों के मलबे की नीलामी नियत दिनांक 23.06.2023 को सायं 04:15 नियत कर प्रचार–प्रसार कराकर नीलामी की कार्यवाही की गयी परन्तू नियत दिनांक व समय पर कोई भी बोली कर्ता/व्यक्ति उपस्थित नही आया जिस कारण नीलामी की कार्यवाही नही हो सकी। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार पुनः प्रचार–प्रसार उपरान्त नीलामी की कार्यवाही की जानी है। इस प्रकार पुनः नीलामी समिति द्वारा उक्त की नीलामी दिनांक 11.07.2023 को सांय 04:15 बजे की जायेगी।

अतः बोली के इच्छुक व्यक्ति उक्त से सम्बन्धित किसी पुछताछ व निष्प्रयोज्य घोषित आवासों को देखने हेतु केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय हापुड़ में किसी कार्य दिवस पर प्रातः 10:00–04:00 बजे तक केन्द्रीय नजारत में सम्पर्क करें। इच्छुक व्यक्ति नियमों व शर्तो का अनुपालन करते हुये नीलामी की कार्यवाही में भाग ले सकते है। **उक्त नीलामी की कार्यवाही हेतु शर्ते निम्न हैः–**

1. सभी बोली दाताओं की नीलामी से पूर्व केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय हापुड़ में धरोहर धनराशि 50,000/– रुपये नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट एवं चैक जो जनपद न्यायाधीश हापुड़ के नाम होगा, प्रतिभूति के रुप में जमा कराना होगा। नीलामी समाप्ति पर यदि उसके नाम नीलामी नही होती है तो जमानत धनराशि सम्बन्धित बोलीदाता/जमाकर्ता को वापस कर दी जायेगी।

2. जनपद न्यायालय मुख्यालय हापुड़ में स्वर्ग आश्रम रोड़ हापुड़ में स्थित टाईप–3 के 06 नग पुराने निष्प्रयोज्य घोषित आवासों की गिराने से पूर्व वर्तमान में जैसी स्थिति है उसी स्थिति के अनुसार गिराने से पूर्व की स्थिति के अनुसार ही मलबे आदि की नीलामी की जायेगी।

3. नीलामी हेतु गठित कमेटी द्वारा सरकारी बोली/न्यूनतम बोली 4,50,000/–रुपये निश्चित की गयी है। नीलामी में उपस्थित इच्छुक व्यक्ति को न्यूनतम बोली से अधिक बोलनी होगी।

4. सर्वोच्च बोली यदि स्वीकार की जाती है तो बोली की धनराशि का ¼ भाग (25 प्रतिशत) बोलीकर्ता को तुरन्त जमा करना होगा, शेष धनराशि अनिवार्य रुप से तीन दिन में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि समस्त धनराशि नही जमा करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

5. जनपद न्यायालय मुख्यालय हापुड़ में स्वर्ग आश्रम रोड़ हापुड़ में स्थित टाईप–3 के 06 नग पुराने निष्प्रयोज्य घोषित आवासों को गिराने से पूर्व सफल नीलामी प्राप्तकर्ता को अनुमति पत्र प्राप्त होने के 10 दिन के अन्दर ही आवास से निकली ईंटों व मलबे आदि का निस्तारण किया जाना होगा।

6. नीलामी प्राप्तकर्ता एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से अंतिम निकासी की तिथि तक सरकारी सम्पत्ति एवं आस–पास की इमारत, सम्पत्ति को नुकसान नही पहुँचाया जायेगा। नुकसान होने पर समस्त उत्तरदायित्व नीलामी प्राप्तकर्ता का होगा।

7. माननीय जनपद न्यायाधीश हापुड़ द्वारा बिना किसी कारण बताये उच्चतम बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

8. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रार्थना पत्र के साथ स्वंय का आधार कार्ड/पहचान पत्र व स्वप्रमाणित फोटो की प्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा नीलामी के समय मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा।

9. नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकारी जनपद न्यायालय हापुड़ का होगा।

10. नीलामी क्रेता को नीलामी सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें स्वंय पूर्ण करनी होगी।

11. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में टाईप-3 के 06 नग पुराने निष्प्रयोज्य घोषित आवासों को गिराने में निकले मलबे आदि की नीलामी को रदद समझा जायेगा।

दिनांकः-23.06.2023

(उमाकान्त जिन्दल)
अध्यक्ष,
नीलामी समिति/
अपर जिला जज,
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
हापुड़।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक-प्रचार प्रसार हेतुः-

01. नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय हापुड़।
02. नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी हापुड़।
03. नोटिस बोर्ड, हापुड़ विकास प्राधिकरण।
04. जिला सूचना अधिकारी को समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
05. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु कम्प्यूटर अनुभाग हेतु।
06. जनपद न्यायालय हापुड़ की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु कम्प्यूटर अनुभाग हेतु।
07. केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय हापुड़ को समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।

23-6-2023

(उमाकान्त जिन्दल)
अध्यक्ष,
नीलामी समिति/
अपर जिला जज,
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
हापुड़।